न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01/2018 (डूंगरपुर आर्डर)

1. श्री अमरा पिता श्री रामा पटेल निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)
2. श्रीमती नवल पत्नी अमरा पटेल निवासी थाणा तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. सरकार जरिये श्री लण्ड होल्डर तहसीलदार डूंगरपुर तहसील व जिला डूंगरपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व
अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलक्टर
डूंगरपुर दिनांक 27–12–2017 प्रकरण
संख्या 02/2015

———/———

उपस्थित बवक्त बहस :–

1– श्री के.एल.पाटीदार अभिभाषक अपीलान्ट्स
2– राजकीय पैरोकार

——————/——————

आदेश **दिनांक 31–10–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 द्वारा अपीलान्ट प्रार्थी के विरूद्ध नियम–14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम–1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम थाणा की आराजी नंबर 2399 में से 1 बिस्वा भूमि विपक्षीगणो के नाम वर्ष 2010 में आवंटित की गई, जिसके नये नंबर 4361/2399 हुए है। आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने के कारण आंवटन निरस्त किया जाय।

प्रकरण में विपक्षी अपीलान्ट की और से खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसका आवंटन विधिक है। वह काबिज है तथा भूमि को खलियान के लिए काम में ली जा रही है। शिकायतकर्ताओं की दूर्भावाना के आधार पर तथा शिकायतकाताओं व उसके मुकदमेंबाजी चलने के कारण दूर्भावना पूर्वक उक्त वाद पेश किया है। आवेदन खारिज किया जाय।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 27–12–2017 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलान्ट विपक्षी का आवंटन निम्न प्रेक्षणों के साथ खारिज कर दिया है:–

''उभयपक्षों की और से प्रस्तुत बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षीगण के नाम मौजा थाणा की बिलानाम आराजी ंख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा में से मात्र 01 बिस्वा भूमि का ही राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम 1970 के तहत आवंटन वर्ष 2010 में किया है, जो आश्चर्यजनक है। आंवटित भूमि के समीप विपक्षीणगण की अन्य खातेदारी भूमि होने का कोई तथ्य भी प्रकरण में नहीं आया है, नहीं विपक्षीगण को छोटी–पट्टी के तहत ही भूमि का आवंटन हुआ है। विपक्षीगण को वर्ष 2010 में कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित हुई है, किन्तु रिपोर्ट पत्रावली हल्का थाणा एवं प्रार्थना पत्र तहरीर के अनुसार न तो उनका आवंटित भूमि पर कब्जा ही प्रमाणित है एव न ही काश्त ही है। विपक्षीगण स्वयं ने अपने जवाब में आवंटित भूमि को खलिहान के रूप में काम में लेना तथा इस भूमि को लेकर विवाद एवं वाद होना अंकित किया है।

इस प्रकरण प्रकरण में आये तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि मौजा थाणा की बिलानाम आराजी संख्या 2399 रकबा 9 बीघा 04 बिस्वा में से मात्र 01 बिस्वा भूमि जो राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के तहत वर्ष 2010 में विपक्षीगण के नाम आवंटित की गई है, उस भूमि पर न तो आवंटीगण का मौके पर काश्त कब्जा ही है एवं न ही उनके द्वारा आवंट शर्तो की पालना ही की गई है। विपक्षीगण को आंवटित उक्त भूमि के कब्जे को लेकर मौके पर विवाद भी है। कृषि

प्रयोजनार्थ आवंटित उक्त 01 बिस्वा भूमि के आवंटन को बहाल रखा जाना न्याय संगत नहीं होगा"।

अधिनस्थ न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 27–12–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 25–1–2018 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट सरकार की और से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए।

अधिनथ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को अपास्त करने की प्रार्थना की, वहीं रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के आदेश को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। प्रार्थी के पूर्वजों को आंवटित भूमि पर सेटलमेन्ट के समय से कब्जा है। कब्जा तहसीलदार स्वयं द्वारा देकर नामान्तरकण स्वयं तस्दीक किया है। आंवटित भूमि के पास ही प्रार्थी की भूमि है, जहां पर सिंचाई हेतु पाईप लाईन लाई गई है। प्रार्थी ने भूमि को आबादान किया है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा कुछ शिकायतकर्ताओं के आवेदन पर पटवारी द्वारा दिनांक 18–12–2014 को पटवारी द्वारा तरतीब पर्चा मौका के आधार पर यह आवंटन निरस्तीकरण आवेदन पेश की है। इसके विपरीत आंवटी अपीलान्ट अमरा द्वारा इन्हीं शिकायतकर्ताओं के विरूद्ध आवंटित भूमि के लिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश कर रखा है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन खारिज किये जाने के प्रमुख आधार में से 1 बिस्वा भूमि का आवंटन किये जाने के कारण आवंटन को उपादेय नहीं माना है। जबकि नियमों में न्यूनतम भूमि आवंटन बाबत् कोई प्रावधान नहीं है। प्रकरण में आवंटन के बाद निसन्देह रूप से तहसीलदार

द्वारा आवंटी को कब्जा सिपुर्द किया जाता है। इस प्रकरण में भी ऐसा ही हुआ है तथा इसी अनुक्रम में आवंटी अपीलान्ट रेकर्ड में दर्ज है। क्षणमात्र को यह माना भी जाय कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं भी है तो भी किसी के द्वारा उसे आवंटित भूमि पर सरकार द्वारा कब्जा दिये जाने के बाद उसे बेदखल कर कब्जा कर लिया जाता है, तो इसका दण्ड आवंटी का आवंटन निरस्त कर उसे और दण्डित नहीं किया जा सकता। क्योंकि विधिक आवंटन के अनुक्रम में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवंटी को कब्जा सिपुर्द किये जाने के बाद यदि उसे कब्जे से बेदखल यदि कोई निजी व्यक्ति कर भी दे तो भी यह आवंटन निरस्ती का आधार नहीं हो सकता। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से उचित नहीं होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 27–12–2017 अपास्त किया जाकर अपीलान्ट विपक्षी को ग्राम थाणा की आराजी नंबर 2399 में आंवटित 1 बिस्वा भूमि जिसके नवीन आराजी नंबर 4361/2399 बने है, का आवंटन बहाल किया जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 31–10–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर